प्रेस नोट

दिनाँक 10.10.2025

जनपद-संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *01- थाना मेंहदावल पुलिस* द्वारा 01- वारण्टी नाम पता ओंकार सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी सड़हरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्र।

02- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05- वारण्टी नाम पता 01- हरिकेश, 02- अवधेश पुत्रगण रामदास हरिजन निवासीगण रोरुआ, 03- शम्भू, 04- कपिल पुत्रगण बुद्धिराम निवासीगण कानापार, 05- सलीम पुत्र जहीर खां निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नन्दला, उ0नि0 श्री सुरेश यादव, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 बालगोविन्द गौड़, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 संतोष पाल,

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7669 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 7669 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत उमरिया बाजार से कालर राधिका प्रसाद दूबे पुत्र कमल चन्द्र दूबे निवासी खरघाट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा खुद के सड़क दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ० अरविन्द कुमार मिश्रा, हो०चा0 पंकज मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 189 वाहनों से 2,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 189 वाहनों से 2,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।